न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 51/2011

वादी :-

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. तिलोक पुत्र खींया फौत
के कायम मुकाम :-
1/1 झालाराम पुत्र तिलोकराम
1/2 किशनाराम पुत्र तिलोकराम
1/3 भंवरूराम पुत्र तिलोकराम
1/4 चोलाराम पुत्र तिलोकराम
1/5 भचनाराम पुत्र तिलोकराम
1/6 भगवानराम पुत्र तिलोकराम
जातियान - जंगलिया
निवासीगण - बोगासनी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.28.02.2011**

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 29/05/2015**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-बोगासनी, पटवारी हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में खसरा नम्बर 153 रकबा 0-19 बीघा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर खनन कार्य लाईम स्टोन का अवैध रुप से किया जा रहा है। दिनांक 11/02/2011 को खनिज वि0के0 फोरमैन व पटवारी-निम्बोल द्वारा संयुक्त रुप से उपरोक्त आराजी का मौका देखा गया तो मौका जांच (निरीक्षण) ख.नं. 153 में अवैध रुप से खनिज लाईम स्टोन के अवैध खनन पाये गये। जिसमें लगभग 10मी. x 8मी. x 3मी. तक मिट्टी हटाई गई। राज्य सरकार को इस तरह अवैध खनन कार्य करने से वित्तिय हानि पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार प्रति0 के द्वारा खातेदारी भूमि में बिना अनुमति अवैध रुप से खनन कार्य कर खातेदारी शर्तो (अधिकार) का उल्लंघन किया गया एवं असुरक्षित खनन कार्य किया जा रहा है। जिसमें मानव जीवन को भारी हानि हो सकती है। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

न मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अवैध खनन) में उपयोग लेने की सूचना प्राप्त पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर न है कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की दुआं की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 की ओर से श्री रामस्वरूप चौधरी, वक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हैं। वकील प्रति0 को दिनांक /04/2011 से लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा करने में विफल रहने से इनकी ओर से जबाबदावा का अवसर समाप्त किया कर जबाबदावा बन्द किया जाता हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रति0 ने सरहद मौजा-बोगासनी, वार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) के ख.नं. 153 रकबा 10मी. X मी. X 3मी. किस्म बा0दो0 में लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ के उपयोग में ले रहा हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया हैं। ति0 को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 इस आशय की सादिर की जाती है क सरहद मौजा-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) के ख.नं. 153 रकबा 10मी. X 8मी. X 3मी. किस्म बा0दो0 जो लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रति0 के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रति0 को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रति0 को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-निम्बोल पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

...लत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

:- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

बनाम

...दार, जैतारण
...ोल्डर राजस्थान सरकार
...-जैतारण, जिला-पाली

प्रतिवादीगण :-

1. तिलोक पुत्र खींया फौत
के कायम मुकाम :-
1/1 झालाराम पुत्र तिलोकराम
1/2 किशनाराम पुत्र तिलोकराम
1/3 भंवरूराम पुत्र तिलोकराम
1/4 चोलाराम पुत्र तिलोकराम
1/5 भचनाराम पुत्र तिलोकराम
1/6 भगवानराम पुत्र तिलोकराम
जातियान - जंगलिया
निवासीगण - बोगासनी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

...ाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत
...7 राजस्थान काश्तकारी
...म, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 51/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-....... व ...तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी, ...ा, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ...हक वादी विरूद्ध प्रति0 इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद ...ोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) के ख.नं. 153 ...10मी. x 8मी. x 3मी. किस्म बा0दो0 जो लाईम स्टोन (अवैध खनन) ... कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। ...के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया ...। प्रति0 को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया ... कि प्रति0 को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार ...म्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो। ...ीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें। ...बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/05/2015 को ...किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महनताना वकील		
...ना वकील			खर्चा गवाहान		
...गवाहान			फीस कमीश्नर		
...कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
...न:-			मिजानः-		

...इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए ...ा गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner